

From No. III
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा
फर्द अहकाम
(नियम 28)

अनिल बनाम नीलम वगै०

हुकम का कार्यवाही मय इनीशियल्य राज
 प्रार्थना पत्र --212 संख्या 113 वर्ष 2020

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम की तारीख में
 जारी हुए

आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत इस्ताम्तेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बगता है एवं सुधिया का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।

अतः अप्रार्थीग को आगामी दिनांक 30.09.2020 तक अन्धार्ई निषेधाज्ञा बन्दगी से वाइन्द किया जाता है कि आराजो खरारा नम्बर 815/870/0.19 है० वाके प्राग सुहाइरा पर प्रार्थी के हेल्से तक की आराजो में किसी भी प्रकार की मजाहगत पैदा न करें एवं निर्माण कार्य न करें।

क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाक Absolute कर दिया जावें ? कोई उस हो नो आप स्वयं अथवा जयें अधिवक्ता हाजिर अकामा आकर जबाब पेश कर। वकील प्रार्थी वरते तलबे अप्रार्थी के नोटिस तलबाने जारी करा पो० रसीद 07 दिवस में पेश करें अन्धार्ई उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
 तिजारा (अलवर)

प्रशासन सॉल्वे के संग अभियान-2021
 कोर्ट केम आग पंचायत.....
 प्रमांक.....दिनांक 27.11.2021

॥ 21 पत्रावली पेश हुई। वादी का वाद वादी के प्रार्थना पत्र परस्कारिज हो चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र भी उकारिज किया जा रहा है। पत्रावली केसल सुभार होकर वाद वकील संलग्न मूलवाद है।

उपखण्ड अधिकारी
 तिजारा (अलवर) राज०